

समाहरणालय, गोपालगंज

(जिला भू-अर्जन शाखा)

अधिघोषणा

संख्या- 2277 / आर0

दिनांक- 16-09-13

कि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-भगवानपुर थाना नम्बर-574 थाना-पंचदेवी, परगना-कुआड़ी, जिला-गोपालगंज में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् गोपालगंज जिलान्तर्गत कटेया सेमरा पथ में झरही नदी पर आर सी0पी0 पुल एवं पहुँच पथ के निर्माण के लिए सरकार खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ ग्राम-भगवानपुर थाना नम्बर-574 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है जो नामक माप से कमोबेश 0.20 एकड़ के बराबर होता है।

जिसका खेसरा संख्या निम्नांकित हैं:-

1588 अंश, 1590 अंश,

जिसकी चौहदो निम्नांकित हैं:-

उत्तर :- खेसरा 588 अंश, 1590 अंश,

दक्षिण :- खेसरा 1101 अंश, सड़क रोड।


पूरब :- सीडान किलपुर थाना नं0-576

पश्चिम :- खेसरा 1101 अंश, 1588 अंश,

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाले कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों एवं खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जन की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक है, लिये जायेंगे।

यह अधिघोषणा बिहार भू-अर्जन अधिनियम 1894 यथा संशोधित 1984 की धारा -6 के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध है।

भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज के कार्यालय में किसी भी कथित दिवस में देखा जा सकता है।


समाहर्ता
गोपालगंज।

बिहार राज्यपाल के आदेश से




सरकार के अवर/स्व सचिव

ज्ञापक संख्या - 14/डी0 एल0 ए0 गोपालगंज (आर0सी0सी0पुल)-39/2013 - 2277/रा७

दि०-16-09-13

- प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, समाहरणालय, गोपालगंज को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 4. समाहर्ता, गोपालगंज को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 5. जिला अवर निबंधक, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 6. आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।


(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।